

• कार्यालय-उपजिलाधिकारी बारा, इलाहाबाद

दिनांक- 30-1-09

पत्रांक- 173

आदेश

कृष्णार्पित इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी एण्ड मैनेजमेन्ट एजुकेशन सोसायटी, पंजीयन संख्या 236/2008 द्वारा डायरेक्टर/सचिव, विवेक शुक्ला पुत्र श्री देवेन्द्र नाथ शुक्ला, निवासी 209/15, राधाकृष्णन भवन रसूलाबाद परगना व तहसील शहर सदर जनपद-इलाहाबाद के प्रार्थना पत्र पर धारा 143 ज0वि0 अधिनियम के अन्तर्गत दायर वाद की सुनवाई/जांच के उपरान्त आदेशित किया जाता है कि वादी को मौजा इरादतगंज, परगना अरैल, तहसील बारा, जनपद-इलाहाबाद की भूमि गाटा संख्या 643/0.068 हे0 व 644/1.301 हे0 का प्रयोग गैर कृषि/शिक्षण कार्य हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा, इस प्रकार उपरोक्त कृषित भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर कृषि कार्य हेतु किया जाता है। कृष्णार्पित इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी एण्ड मैनेजमेन्ट एजुकेशन सोसायटी पंजीयन संख्या 236/2008 द्वारा डायरेक्टर/सचिव विवेक शुक्ला पुत्र श्री देवेन्द्र नाथ शुक्ला, निवासी-209/15, राधाकृष्णन भवन रसूलाबाद परगना व तहसील शहर सदर, जनपद-इलाहाबाद को उपरोक्त भूमि का शैक्षणिक कार्यों के प्रयोग हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।



(राम सिंह वर्मा)

उपजिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट

बारा, इलाहाबाद